प्रकरण संख्या 78/2022 रमेश व अन्य बनाम रामसिंह व अन्य

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 07.08.2024 | प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष लाला जी थे, जिनके खाते की आराजीयात वाद पत्र की कलम संख्या 4 अनुसार होकर खाता संख्या 273 पुरानी व 281 नई की कुल किता 31 रकबा 4.64 हैक्टर हैं। इसी प्रकार खाता संख्या 282 की कुल किता 3 रकबा 0.25 हैक्टर है। प्रतिवादी संख्या 1 बड़ा भाई होने से सेटलमेन्ट की गलत से बड़े भाई के नाम उक्त आराजियात अंकित कर दी गयी, जबकि उक्त आराजियात में लाला के चारों पुत्रों का समान हक व अधिकार है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।<br><br>अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.04.2013 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण वादी संख्या 3 व 4 द्वारा दिनांक 31.10.2022 को यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पटेल व बी.एस. पानेरी उपस्थित हुए, जबकि अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश नन्दवाना उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।<br><br>विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण अधिनस्थ न्यायालय में पैरवी कर रहे थे, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 नानजी द्वारा बंटवारे अनुसार सभी हिस्सेदारों को भूमि देने का वादा किया था इसलिए उनके द्वारा पैरवी नहीं की गयी। वादीगण का वाद निरस्त होने की जानकारी प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा उन्हें नहीं दी गयी। जानकारी होते ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथपत्र प्रस्तुत किया।<br><br>हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में न्यायपूर्ण निर्णय करने के दृष्टिगत | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होने से अपीलान्टगण का भी विवादित आराजियात में हक हिस्सा निहित है, किन्तु वक्त सेटलमेन्ट भूमियां बड़े भाई के नाम दर्ज हो जाने के कारण अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में विभाजन, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने कयासी आधारों पर भूमि पुश्तैनी नहीं मानते हुए अपीलान्टगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा.दी. के साथ जो दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हैं, उनके अवलोकन से विवादित आराजियात प्रथम दृष्टया मौरूसी होना प्रकट होता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजियात प्रतिवादी संख्या 1 नानजी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने को आधार मानते हुए अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया उचित प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 8/2013 निर्णय एवं डिक्री 30.04.2013 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियां कायम कर एवं साक्ष्य सबूत लेकर तनकीवार नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 27.09.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 07.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:50:51 IST
Reason: SelfAttested